न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 95/2018 (2018/00288)

1. सुरेश दत्तक पुत्र रामगोपाल जाति खाति निवासी जाल का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

1. सीमा पत्नि शंकर जाति खाती निवासी अजमेर रोड आदर्श कॉलोनी सरवाड तराहील सरवाड जिला अजमेर
2. शंकर पुत्र रामगोपाल जाति खाती निवासी अजमेर रोड आदर्श कॉलोनी सरवाड तहसील सरवाड जिला अजमेर
3. बदाम पत्नि प्रहलाद खाती निवासी गोरधनपुरा तहसील सरवाड
4. प्रहलाद पुत्र लादू खाती निवासी गोरधनपुरा तहसील सरवाड
5. विमला पत्नि कैलाश खाती निवासी गोरधनपुरा तहसील सरवाड
6. कैलाश पुत्र लादू खाती निवासी गोरधनपुरा तहसील सरवाड
7. सोना पत्नि देवीलाल खाती निवासी गोरधनपुरा तहसील सरवाड
8. देवीलाल पुत्र छीतर खाती निवासी गोरधनपुरा तहसील सरवाड
9. मोना पत्नि मुकेश खाती निवासी जोताया तहसील टांटोटी जिला अजमेर
10. मुकेश पुत्र राधेश्याम जाति खाती निवासी जोतायां तहसील टांटोटी जिला अजमेर
11. रामप्यारी पत्नि रामगोपाल जाति खाती निवासी जाल का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––––अप्रार्थीगण

12. माया पुत्री देवीलाल पत्नि श्री देवीशंकर जाति खाती निवासी प्रतापपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

श्री मीठू सिंह राठौड – अधिवक्ता प्रार्थी

श्री भंवरलाल शर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. टिनेन्सी एक्ट

–:आदेशः–

दिनांक– 04.07.2023

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी ग्राम जाल का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
154–136	595	0.41	
	599	0.04	
	600	0.21	
	601	2.54	
	602	2.57	
	603	0.70	
	किता 6	कुल रकबा 6.47 हैक्टर	

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 12 की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य की आरजी है जिसमें प्रार्थी का 29/30 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है तथा प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 12 का 1/30 हिस्सा दर्ज है। इसके अलावा अन्य व्यक्ति

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

या अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 का कोई वास्ता व सरोकार हक कानून नही है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 ने प्रार्थी को दिनांक 30.06.2018 को जब प्रार्थी बुआई करवा रहा था तब आराजीयात पर जबरन अतिक्रमण करके प्रार्थी को बेदखल करने, कब्जा काश्त नही करने देने, फसल एवं आराजी को नष्ट भ्रष्ट करने की धमकियां देने लगे साथ ही झूठे फोजदारी मुकदमें में फंसाने की धमकी दी जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 का वादवर्णित आराजीयात से किसी प्रकार का हक हिस्सा अधिकार नही है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 प्रार्थी को वादवर्णित खातेदारी की आराजीयात से जबरन बेदखल कर देते है, कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करते है, आराजीयात/फसल को नष्ट भ्रष्ट कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय हानी होगी तथा अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। अतः वर्णित उक्त आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व दखलन्दाजी उत्पन्न नही करने, फसल/आराजीयात को नष्ट भ्रष्ट नही करने, आराजीयात पर जबरन अतिक्रमण कर प्रार्थी को बेदखल नही करने हेतु अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार क्षेत्र का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण 3 लगायत 11 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा तथ्य छिपाकर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब मूल वाद में पेश किया गया है जिसे ही जवाब प्रार्थनापत्र का भाग माना जावे जिसके अनुसार पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजी जाल का खेडा में स्थित है जो प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1,3,4,7,9 की पुश्तैनी व प्रतिवादिया संख्या 11 के पति की सम्पति है। पेरा संख्या 3 लगायत 5 गलत/असत्य/मिथ्या होने से अस्वीकार है। वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण 1,3,5,7,9 का 1/7, 1/7 हिस्से अनुसार हक व कब्जा चला आ रहा है व प्रतिवादीया संख्या 12 के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 12 का हक व कब्जा चला आ रहा है। वादी का उक्त आराजी पर कोई कब्जा हक नही है। वादी के नाम उक्त आराजी किस प्रकार दर्ज हुई वादी ने स्पष्ट नही किया है। वादी कभी आराजी में बुवाई करने नही गया है। दिनांक 02.07.2018 को वादी ने उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध पुलिस थाना केकड़ी में मिथ्या रिपोर्ट दी तब उक्त प्रतिवादीया संख्या 1 को जानकारी हुई कि विवादित आराजी बावत सिविल न्यायालय में बक्शीशनामा बावत वाद विचाराधीन है। न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश केकडी के समक्ष उक्त आराजी बावत तीन वाद लम्बित है जिनके तथ्य वादी ने छिपाए है। वादी ने सुरेश दत्तक पुत्र रामगोपाल लिखा है जो असत्य है। वादी को प्रतिवादीया संख्या 11 व उसके पति रामगोपाल ने कभी गोद नही लिया। वादी मिथ्या वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण संख्या 3,5,7,9,11 को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। वादी ने सिविल प्रकरण संख्या 70/17 व 71/17 में विवादित आराजी को पुश्तैनी आराजी स्वीकार किया है और पक्षकारान का हिस्से अनुसार हक व कब्जा स्वीकार किया है जिससे वादी का वाद पोषणीय नही है। वादी का वाद प्राकृतिक न्याय के अनुसार चलने योग्य नही है क्योंकि वादी ने एक तरफ प्रतिवादीया 11 व उसके पति का दत्तक पुत्र बताया है और दूसरी तरफ माता के विरूद्ध ही अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने पिता जगदीश द्वारा धोखे से मिथ्या दस्तावेज दानपत्र व गोदनामा तहरीर करवाया है और पुरे परिवार के विरूद्ध मिथ्या वाद पेश किया है। अतः प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण है और न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र खारिज किया जाना आवश्यक है। अतः अप्रार्थीगण 3 लगायत 11 का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थीगण 1 व 2 व 12 बावदूज सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से फर्द दस्तावेज पेश किये गये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश कर पत्रावली में जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कथन वाद विचाराधीन होना सही है शेष कथन गलत है ठोस रूप से अस्वीकार है। पेरा संख्या 2 में वर्णित कथन सही है स्वीकार है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है तथा साझदायिकी भूमि है। पेरा संख्या 3 से 6 जिस प्रकार से तहरीर किये गये है गलत है व ठोस रूप से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

वरिष्ठ खण्ड संख्या 1 केकड़ी के समक्ष वादी के हक में निष्पादित वादग्रस्त भूमि के विक्रयपत्र निरस्त करने का वाद पेश कर रखा है जो विचाराधीन है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने वादी के हक में निष्पादित तथाकथित गोदनामें की निरस्तगी का भी दावा उक्त न्यायालय में पेश कर रखा है जो भी विचाराधीन है। इस प्रकार सिविल न्यायालय में वाद संख्या 123/18, 124/18 व उनके संलग्न अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 के हक में सिविल न्यायालय द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर रखी है। प्रार्थी ने तथ्य छिपाकर हस्तगत प्रार्थनापत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

प्रार्थी को बहस हेतु समुचित अवसर दिये जाने पर भी बहस हेतु समय चाहने पर अन्तिम बार 500/– रूपये की कोस्ट पर बहस हेतु समय दिया गया जिस पर दिनांक 19.05.2023 को पक्षकारान की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं प्रफोर्गा अप्रार्थी संख्या 12 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिसमें अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 का कोई हक अधिकार वास्ता सरोकार नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को जबरन आराजीयात से बेदखल कर अतिक्रमण करने पर आमादा है जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

दौराने बहस अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का वर्णन किया गया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा तथ्य छिपाकर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। वर्णित आराजी अप्रार्थीगण संख्या 1,3,4,7,9 की पुश्तैनी व अप्रार्थीया संख्या 11 के पति की सम्पति है तथा हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर कोई कब्जा हक नही है। प्रार्थी मिथ्या वाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण संख्या 3,5,7,9,11 को जबरन बैदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी ने सिविल प्रकरण संख्या 70/17 व 71/17 में विवादित आराजी को पुश्तैनी आराजी स्वीकार किया है और पक्षकारान का हिस्से अनुसार हक व कब्जा स्वीकार किया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र पोषणीय नही है। अतः प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण है और न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)